

पत्र संख्या-सी0/ए0-(एन)-01-06/2007....1849...../जे0

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार,
सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा ।

पटना दिनांक..01/03/19.

विषय:- दरभंगा जिला के लिए सहायक सरकारी वकीलों की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-72/जि0विधि, दिनांक-09.01.2019 के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को दरभंगा जिला के लिए सहायक सरकारी वकील नियुक्त करते हुए नया पैनल गठित करने की कृपा की है:-

क्र0	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
1.	श्री कैलाश कुमार	731/2006
2.	श्री विनोद कुमार	454/1979
3.	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद सिन्हा	2568/1996
4.	श्री शंकर प्रसाद जयसवाल	1154/1983
5.	श्री रामवृक्ष साहनी	391/1979
6.	श्री लाला पासवान	06/1996
7.	श्री शशि भूषण प्रसाद सिंह	2070/1999
8.	श्री मोजिबुर रहमान	461/1979
9.	श्री निरंजन कुमार	1717/1994
10.	श्री कौशलेन्द्र नारायण श्रीवास्तव	131/1988
11.	श्री गौरी शंकर चौधरी	1994/1999
12.	श्रीमती रेणु कुमारी	781/2002

2. उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।

3. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा एक दिवसीय कार्य करने के लिए एक ही दैनिक शुल्क देया होगा।

4. संबंधित सहायक सरकारी वकील यदि लोक अभियोजक/सरकारी वकील/अपर लोक अभियोजक/किसी अधिनियम के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक या सरकार द्वारा प्रायोजित किसी परियोजना में लाभ के पद पर कार्यरत है, तो उन्हें एक सप्ताह के अन्दर अपना विकल्प बताना होगा कि वे किस पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं। उन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी एक पद के लिए ही दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा।

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार)

सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....1849....., पटना, दिनांक...01/03/19....

प्रतिलिपि:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा/सरकारी वकील, व्यवहार न्यायालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(राजीव कुमार)

सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....1849....., पटना, दिनांक...01/03/19.....

प्रतिलिपि:- माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को ई0मेल करने हेतु प्रेषित।

(राजीव कुमार)

सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।

21/03/19